(7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम का ग्यारहवां मूल्यांकन प्रतिवेदन (31 मार्च, 1977 को हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1578/78]

(8) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3973 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3974 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पण्डयान ग्राम बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3975 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3976 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3977 में प्रकाशित हुए थे।

(छ) बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3978 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) संथाल परगना ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3979 में प्रकाशित हुये थे।

(आठ) हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3980 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी० 1578/78]

सिडनी में हुई राष्ट्रमंडलीय देशों के राज्याध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

STATEMENT BY PRIME MINISTER RE. HIS PARTICIPATION IN THE COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENTS REGIONAL MEETING HELD AT SYDNEY.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : महोदय, एशियाई तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डलीय देशों के अध्यक्षों की बैठक से मैं 17 फरवरी को लौटा हूं, जो सिडनी में पहली बार हुई।

इस सम्मेलन की बुलाने की महल पिछले साल जून में लन्दन में हुए राष्ट्रमण्डेलीय देशों के सम्मेलन में आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री श्री फ्रेज़र ने दी थी। उस वक्त भी मैंने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था, क्योंकि छोटी-छोटी क्षेत्रीय बैठकें कई क्षेत्रों में और खासकर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की योजनाओं को प्रारम्भ करने और उन्हें गति प्रदान करने में ज्यादा फायदेमन्द तथा कारगर साबित हो सकेंगी ऐसा मेरा विश्वास था। हमें यह देखकर खुशी हुई कि इस क्षेत्र के सभी बारह देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सिडनी सम्मेलन में हिस्सा लिया। मेरे साथ एक प्रतिनिधिमण्डल गया था जिसमें विदेश मन्त्री भी शामिल थे।

भारत की दृष्टि में इस सम्मेलन से एशियाई तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डलीय देशों के नेताओं को, जिनमें से कुछ नौरू, पश्चिम समोआ और टोंगा जैसे छोटे-छोटे देशों से आए थे और जिनके साथ हमारे नजदीकी सम्बन्ध नहीं थे उनकी भी एक दूसरे के करीब लाने में बहुत मदद मिली। इस सम्मेलन में मुझे बंगलादेश के राष्ट्रपति जियाउररहमान, श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्दन, फिजी के प्रधान मंत्री राटू सर कामसीसे मारा सिंगापुर के प्रधान मन्त्री ली कुआं यू, मलयेशिया के प्रधान मन्त्री हुसेन ओन, न्यूजीलैण्ड के प्रधान मन्त्री मुलडून, तथा प्रधान मन्त्री फ्रेज़र के साथ भी जो मेज़बान के रूप में अध्यक्षपद पर मौजूद थे, अपने सम्बन्धों को नया रूप देने का एक सुन्दर अवसर मिला।

हालांकि जहां सम्मेलन हुआ उस जगह पर आतंक फैला कर सम्मेलन को भंग करने का दुःखद प्रयास किया गया था, परन्तु सर्वसम्मति से सम्मेलन का कार्यक्रम चलता रहा। प्रतिनिधिमण्डलों को तोड़-फोड़ के खतरों से बचाने के लिए आस्ट्रेलिया की सरकार ने हर संभव प्रयास किए। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सभी देशों ने उनकी व्यवस्था तथा आतिथ्य-सत्कार की सराहना की। इस वक्तव्य के ज़रिये में भी आस्ट्रेलिया के मेज़बानों को अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।

नियमित और अनौपचारिक विचार-विमर्शों के दौरान हमने कई मसलों पर बातचीत की, जिसका उल्लेख संयुक्त विज्ञप्ति में किया गया है और जो हमारे मौलिक विचारों तथा आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। इसमें दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आतंक, निरस्त्रीकरण, हिन्द महासागर, दक्षिण अफ्रीका तथा मध्य-पूर्वी देशों से सम्बन्धित प्रश्न शामिल थे। इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों, संरक्षणवाद का खतरा तथा स्वतन्त्र व्यापार, वस्तुओं तथा सामान्य निधि, औद्योगिक विकास में वृद्धि के उपायों की आवश्यकता, ऋण भारों, ऊर्जा, मानव साधनों, अनाज उत्पादन तथा ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय आर्थिक तथा व्यावहारिक सहयोग के लिए, दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने तथा छोटे द्वीप राज्यों की विशेष समस्याओं को तय करने के लिए योजनाओं और सम्भावनाओं पर खास ज़ोर दिया गया।

इस सम्मेलन में व्यापार तथा ऊर्जा पर दो परामर्शदात्र ग्रुप और आतंक तथा अवैध औषधों पर दो कार्यकारी ग्रुप स्थापित करने का फैसला किया गया। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के सम्बन्ध में भारत द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भ पत्र और इस बारे में मेरे द्वारा बहस शुरु करने से अन्य देशों ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली जिसके फलस्वरूप ऊर्जा पर स्थापित ग्रुप का समन्वय

करने का काम भारत को सौंपा गया। इस बैठक में यह भी फैसला किया गया कि छोटे राज्यों की मदद के लिए विशेष राष्ट्रमण्डलीय कार्यक्रम आगे विचार के लिए प्रस्तुत किए जायें।

जैसा कि प्रैस में घोषणा की गई है भारत से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण फैसला यह हुआ कि हमने 1980 में अगली क्षेत्रीय बैठक दिल्ली में बुलाना स्वीकार कर लिया है। यह अनुरोध विभिन्न सदस्य देशों के सुझाव पर दिया गया। इस क्षेत्र के देशों में भारत के प्रति जो आदर है तथा उनके साथ कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मज़बूत बनाने की जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए संतोष मिला। भारत की विविधता तथा इसके विकासात्मक अनुभव की सीमा को अब विभिन्न विकासशील देशों के लिए विकास की संगत पद्धतियों के रूप में माना जाने लगा है। इस बैठक से मैं इन देशों में अपने सहयोगियों को यह विश्वास दिला सका हूं कि आर्थिक विविधता और विकास के मुश्किल काम में हमने जो ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त किए हैं उन्हें बांटने में भारत को खुशी होगी।

अन्त में मैं कहूंगा कि सिडनी में हुई बैठक बहुत लाभदायक रही क्योंकि यह क्षेत्रीय तथा व्यावहारिक दोनों थी। यह मंच क्षेत्री सहयोग की अन्य एजेन्सियों जैसे एसकैप तथा एशियन में शामिल नहीं है अथवा नहीं उनका विकल्प है। ग्रुप की नमनशीलता तथा अनौपचारिकता से एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्बन्धों का विकास करने का एक उपयुक्त ढांचा मिलेगा ऐसी आशा है। हम उन अनुवर्ती उपायों में सक्रिय रूप से अपना सहयोग देंगे, जिनकी योजना कार्यकारी दलों द्वारा तैयार की गई है, ताकि 1980 में दिल्ली में होने वाली बैठक सिडनी से अधिक सफल हो।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्दिष्ट–आंग्ल भारतीय) : आपने मिडिल ईस्ट कहा है। क्या आपका अर्थ वेस्ट एशिया से है?

श्री मोरारजी देसाई : मेरा अर्थ दोनों से है।

आकाशवाणी द्वारा सदन की कार्यवाही के समाचार के प्रसारण के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE : AIR's REPORTING OF HOUSE PROCEEDINGS

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को स्मरण होगा कि 21 फरवरी, 1978 को रेल मन्त्री के बजट भाषण शुरू करते समय श्री मनीराम बागड़ी समेत कुछ सदस्यों ने मन्त्री महोदय से हिन्दी में बोलने का अनुरोध किया था। दूसरी ओर के सदस्यों ने इसका विरोध किया और तब मैंने कहा था कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बोलने की अनुमति है। इस अवसर पर प्रधान मन्त्री ने हस्तक्षेप किया और सत्ताधारी दल के सदस्यों से अपना स्थान लेने और सदन में ऐसी बात न उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से भी सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा न करने को कहा।

22 फरवरी, 1978 को श्री मनीराम बागड़ी ने 21 फरवरी की रात 8.45 के हिन्दी समाचार प्रसारण की ओर मेरा ध्यान खींचा जिसमें कहा गया था कि प्रधान मन्त्री ने श्री बागड़ी को डांटा। श्री बागड़ी ने अनुरोध किया है कि सूचना और प्रसारण मन्त्री आकाशवाणी की ओर से यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण दें।